

कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विदिशा

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत 17 विन्दुओं की जानकारी:-

1	संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षिक गुणवत्ता हेतु प्रशिक्षण आयोजन
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विदिशा
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विदिशा- लोक सूचना अधिकारी
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	निरंक
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश, म0प्र0कर्मचारी आचरण संहिता, शिक्षा संहिता में वर्णित में वर्णित अनुदेश ।
6	ऐसे दस्जावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं। प्रवर्गों का विवरण	संस्थान के कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली एवं समस्त प्रकरणों का निराकरण , सेवापुस्तिका का संधारण
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है	प्रथम अपीलीय अधिकारी
8	ऐसे बोर्डों , परिषदों समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं।, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है। और इस वार में कि क्या बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिये खुली होगी । या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त प्रतिकर प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।	निरंक

9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	शासन आदेश के अनुरूप ।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो ।	निरंक
11	सभी योजनाओं ,प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपॉर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	जिले के शिक्षको का शैक्षिक गुणवत्ता प्रशिक्षण
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है ।	संस्थान मे अध्यनरत छात्र-छात्राओ को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाता है ।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रो या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओ की विशिष्टियाँ	आवेदनकर्ता द्वारा जो भी जानकारी चाही जाती है उसे कार्यालय में उपलब्धता के आधार पर यथा समय पर उपलब्ध करा दी जाती है ।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप मे सूचना के ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या धारित हों ।	नही
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सूविधाओं की विशिष्टियाँ जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण के धंटे सम्मिलित है	कार्यालय समय में ।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	श्रीमती शशि सक्सैना , प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विदिशा
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये	निरंक

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
विदिशा

कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विदिशा

क्रमांक / RTI / 2016 /

विदिशा दिनांक

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला विदिशा।

विषय:—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 4 (1) वी मे वर्णित 17 बिंदुओ की जानकारी भेजने विषयक।

संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक / लो0सू0अ0 / 2016 / 1780 विदिशा दिनांक 9.02.2016 ।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम मे निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 4 (1) वी मे वर्णित 17 बिंदुओ की जानकारी चाही गई थी । जो संलग्न प्रारूप पर तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न—प्रारूप

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
विदिशा

